

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत0प्रार्थना संख्या 19/2016

सन् 2016

जीसीएमएस संख्या 2016/00348

बउनवानी:-भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार जरिये सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मोरपाल पुत्र घांसी मीना (मृतक)
1/1 केलाश पुत्र मोरपाल मीना निवासी बडौद तहसील खण्डार
2. रामचरण पुत्र घांसी मीना निवासी बडौद तहसील खण्डार

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राज0 सह सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व 99 के तहत ऋणी सदस्य की बैंक के रहन सम्पत्ति को बैंक के पक्ष मे अन्तरित करने बाबत)

उपस्थित :-श्री किशन लाल मीना

सचिव भूमि विकास बैंक(प्रार्थी)

:- निर्णय :-

दिनांक 12.7.2023

प्रार्थना पत्र सचिव भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर के जरिये भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के खाता संख्या 415 एफएमएस पर अप्रार्थी द्वारा बैंक का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नही करने तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि बैंक के रहन है, को बैंक द्वारा निलामी कार्यवाही मे बेची नही जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को बैंक के नाम अन्तरण करने हेतु राज0 सह. सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 103 व 99 के तहत आदेश जारी करने बाबत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी कर नोटिस प्राप्ति के 30 दिवस मे जमा कराने व नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत सूचित किया गया किन्तु अप्रार्थीगण नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नही हुऐ ओर ना ही बैंक की बकाया राशि जमा करवायी गयी। तत्पश्चात बहस वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर सुनी गयी।


वकील भूमि विकास बैंक लि0 सवाईमाधोपुर द्वारा कथन किया कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम,2001 की धारा 100 के अधीन जारी प्रमाण पत्र के अनुसार असल 86666/-रु ब्याज 81900/-रु द0ब्याज 1267/-रु कुल राशि 169833/-रु एवं तत्पश्चात दिनांक 30.6.2015 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 377728/-रु जिसमे से अवधि पार बकाया असल 377728/-रु ब्याज 338200/-रु द0 ब्याज 39283/-रु एवं वसूली व्यय 22656/-रु तथा बीमा राशि 0/-रु सहित कुल राशि 777867/-रु की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नही की गयी है उक्त डिग्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिए विक्रय अधिकारी द्वारा अप्रार्थी की बैंक मे बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम बडौद हल्का पटवारी बडौद तहसील खण्डार की आराजी ख0न0 164 रकबा 2.12 बीघा, 302 रकबा 2 बीघा, ख0न0 326 रकबा 2.03 बीघा ख0न 328 रकबा 3.11 बीघा, ख0न0 474 रकबा 4.18 बीघा, ख0न0 10/31 रकबा 1.10 बीघा, ख0न0 101मी.68 रकबा 1.00 बीघा, ख0न0 165 रकबा 3.10 बीघा, ख0न0 304 रकबा 3.01 बीघा, ख0न0 327 रकबा 0.09 बीघा, ख0न0 361 दिनांक 2.16 बीघा, ख0न0 557 रकबा 3.06 बीघा, ख0न0 234/1/1मी. 2.00 बीघा, ख0न0 305 रकबा 1.11 बीघा) को निलामी बन्दी मे हिस्सानुसार को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा 3 बार दिनांक 24.12.2015, 31.12.2015, 6.1.2016 को जरिये निलामी की गयी किन्तु निलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओ के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नही जा सकी है। विक्रय अधिकारी की

सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार सहकारी समितिया सवाईमाधोपुर द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गयी भूमि या उसका भाग सोसायटी (बैंक) को अन्तरित करने हेतु बैंक के प्रशासक (उप जिला कलेक्टर) द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 13.4.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों सवाईमाधोपुर द्वारा अनुमोदन कर अप्रार्थी की बैंक के पक्ष में रहन भूमि जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है का बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंका की है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के बन्धक है को उक्त बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर ने निवेदन किया है।

वकील भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार की बकाया ऋण राशि रु 777867/-रु जमा नहीं करवायी गयी है तथा अप्रार्थी की बैंक में बन्धकित सम्पत्ति (ग्राम बडौद हल्का पटवारी बडौद तहसील खण्डार की आराजी ख०न० 164 रकबा 2.12 बीघा , 302 रकबा 2 बीघा , ख०न० 326 रकबा 2.03 बीघा ख०न 328 रकबा 3.11 बीघा , ख०न० 474 रकबा 4.18 बीघा , ख०न० 10/31 रकबा 1.10 बीघा , ख०न० 101मी.68 रकबा 1.00 बीघा , ख०न० 165 रकबा 3.10 बीघा , ख०न० 304 रकबा 3.01 बीघा, ख०न० 327 रकबा 0.09 बीघा , ख०न० 361 दिनांक 2.16 बीघा , ख०न० 557 रकबा 3.06 बीघा , ख०न० 234/1/1मी. 2.00 बीघा , ख०न० 305 रकबा 1.11 बीघा जमाबन्दी में हिस्सानुसार को जरिये निलामी 3 बार विक्रय करने हेतु कार्यवाही की गयी किन्तु क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। इस न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बैंक की उक्त राशि 30 दिवस में जमा कराने बाबत नोटिस जारी किया गया नोटिस की तामील विधिवत रूप से व्यक्तिगत करवायी जाने पर भी अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ और ना ही बकाया ऋण राशि बैंक में जमा नहीं करवाने बाबत कोई युक्तिसंगत कारण न्यायालय में पेश किया है। अतः सचिव भूमि विकास बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्याय के प्ररिप्रेक्ष्य में सचिव भूमि विकास बैंक लि० सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वर्णित सम्पत्ति को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत बैंक के रहन की गयी अप्रार्थी केलाश पुत्र मोरपाल, रामचरण पुत्र घासी मीना के हिस्से की उक्त कृषि भूमि को भूमि विकास बैंक शाखा खण्डार के पक्ष में अन्तरित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(सुरेश कुमार ओला)
जिलाकलेक्टर
सवाई माधोपुर